

3146
26/5/07 b 113/8

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी डाक
द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
पूर्व भुगतान भोपाल/06-08.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 अप्रैल 2007—वैशाख 7, शक 1929

भाग ४

विषय-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश,
(ग) (1) प्रारूप नियम,

- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(2) अन्तिम नियम.

- (3) संसद में पुर-स्थापित विधेयक.
(3) संसद के अधिनियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2007

क्र. एफ-1-1-2006-तेरह.—भारतीय विद्युत नियम, 1956
(इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956) के नियम, 45 के उपनियम
(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार,
एतद्वारा, मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) विनियम, 1960 में
निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त विनियम में;

1. विनियम 3 में,—

(1) खंड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित

किया जाये, अर्थात् :—

“(तीन) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
लिमिटेड का प्रतिनिधि जो मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र
विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा नम निर्दिष्ट
किया जायेगा.”

(2) खण्ड (छह) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड स्थापित
किया जाये, अर्थात् :—

“(छह) मध्यप्रदेश ऊर्जा उत्पादन/पारेषण कंपनी लिमिटेड का
प्रतिनिधि जो मध्यप्रदेश ऊर्जा उत्पादन/पारेषण कंपनी लिमिटेड द्वारा
नाम निर्दिष्ट किया जायेगा.”

2. विनियम 4 (ख) के उपखंड (एक) में शब्द “मध्यप्रदेश
विद्युत मंडल द्वारा नाम निर्दिष्ट अधीक्षण यंत्रों” के स्थान पर, शब्द
“मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र/पूर्व क्षेत्र/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
लिमिटेड द्वारा नाम निर्दिष्ट अधीक्षण यंत्रों” स्थापित किये जायें.

3. विनियम 27 में,—

पैरा 3 में शब्द, “यथा स्थिति मध्यप्रदेश विद्युत मंडल या विद्युत प्रदाय कंपनी के संबंधित वितरण केन्द्र के प्रभारी पदाधिकारी को” के स्थान पर, शब्द “यथास्थिति, मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र/पूर्व क्षेत्र/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के संबंधित वितरण केन्द्र का भार साधक अधिकारी को स्थापित किए जाए.

4. (एक) प्ररूप “ए” में, टिप्पणी 2 में, शब्द “मध्यप्रदेश विद्युत मंडल” के स्थान पर, शब्द “यथास्थिति, मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र/पूर्व क्षेत्र/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड स्थापित किए जाए.”

(दो) प्ररूप “बी” में, टिप्पणी 2 में, शब्द “मध्यप्रदेश विद्युत मंडल” के स्थान पर, शब्द “यथास्थिति, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र/पूर्व क्षेत्र/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड स्थापित किए जाए.”

(तीन) प्ररूप “आई” में, टिप्पणी 4 में, शब्द “मध्यप्रदेश विद्युत मंडल” के स्थान पर, शब्द “यथास्थिति, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र/पूर्व क्षेत्र/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड” स्थापित किए जाए.”

No. F-1-1-2006-XIII.—In exercise of the powers conferred by sub-rule(1) of Rule 45 of Indian Electricity Rules, 1956, the State Government hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Licensing Board (Electrical) Regulation, 1960, namely :—

AMENDMENTS

In the said Regulation, :—

1. In regulation 3,—

(1) For clause (iii), the following clause shall be substituted, namely :—

“(iii) representative of Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited, nominated by Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited.”

(2) For clause (vi), the following clause shall be substituted, namely :—

“(vi) representative of Madhya Pradesh Power Generation/Transmission Company Limited nominated by Madhya Pradesh Power Generating/Transmission Company Limited.”

2. In sub-clause (i) of regulation 4(b), for the words “Superintending Engineer nominated by Madhya Pradesh Electricity Board”, the words “Superintending Engineer nominated by Madhya Pradesh Madhya Kshetra/Poorv Kshetra/Pashchim Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited” shall be substituted.

3. In regulation 27;—

In para 3, for the word “Officer in charge of concern distribution centre of the Madhya Pradesh Electric Board or Electric Supply Company, as the case may be” the words “officer in charge of concerned distribution centre of Madhya Pradesh Madhya Kshetra/Poorv Kshetra/Paschim Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited, as the case may be” shall be substituted.

4. (i) in form ‘A’ in note 2, for the words “Madhya Pradesh Electricity Board”, the words “Madhya Pradesh Madhya Kshetra/Poorv Kshetra/Paschim Kshetra Vidyut vitaran Company Limited, as the case may be” shall be substituted.

(ii) In form ‘B’ in note 2, for the words “Madhya Pradesh Electricity Board” the words “Madhya Pradesh Madhya Kshetra/Poorv Kshetra/Paschim Kshetra vidyut Vitaran Company Limited, as the case may be” shall be substituted.

(iii) In form ‘I’, in note 4 for the words “Madhya Pradesh Electricity Board” the words “Madhya Pradesh Madhya Kshetra/Poorv Kshetra/Paschim Kshetra vidyut Vitaran Company Limited, as the case may be” shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय बंदोपाध्याय, सचिव.